

57



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

A 350/2006
A 350/2006

प्रकरण क्रमांक : 2006 अपील स्टांप एक्ट

प्रेमलता पति निखन पाटीदार
निवासी नारामणगढ़ तहसील मल्हारगढ़ जिला
मन्सूर ---अपीलान्ट

विरुद्ध

- 1- म००० शासन उपपंजीक नीमन
- 2- सोहनबाई पति गोविन्दप्रसाद पाटीदार
निवासी जैसीगपुरा तहसील नीमन जिला नीमन
---रिस्पान्डेन्ट्स

प्राचीन न्यायालय प्रशासन विभाग
ग्वालियर
दिनांक 20/12/06
न्यायाधीश
मन्सूर

अपील न्यायालय
20/12/06

अपील अन्तगत धारा 9 मध्यप्रदेश लिखतपो का न्यून मुलांकन निवारण
निषम के तहत ।

मान्यवर महोदय,

अपीलान्ट, अधीनस्थ न्यायालय अपर आगत उज्जैन संभाग, उज्जैन के
प्रकरण क्रमांक 152 : 2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-12-2005
के विरुद्ध अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि
विधान एवम रिकार्ड के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने छोड़े गये है ।
- 2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 5 के किसी भी प्रावधान
का पालन नहीं किया गया है तथा नियम 5 में जो प्रक्रिया दी गई है उस
प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित
करने में गम्भीर वैधानिक त्रुटि की है ।
- 3:- यह कि अस्पष्टता हादरा पर विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय
न्यायालय ने त्रुटि की है ।
- 4:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड के विपरीत आदेश है इस पर
अधीनस्थ अपीलान्त न्यायालय ने विचार नहीं करने में त्रुटि की है ।

[Signature]




[Signature]

A 350-I106

निष्ठा निमेष

16.2.16

आवेदक अधिनायक श्री को.अ.ब.ब. बरा आवेदन
 दोष अनुसंधान किए कि वे इस अवधि के अंत
 शिवालय न करवाते हुए, समाप्त कराने वाले हैं।
 नितः आवेदक अर्थात् अनुसंधान अनुसार प्रकरण नोट
 प्रेष में समाप्त किए जाते हैं। प्रकरण समाप्त
 हुआ है।

श्रीराम